कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रामगंजमण्डी, (जिला कोटा)

क्रमांक : 765 दिनांकः 23/12/24

श्रीमान उपवन संरक्षक
कोटा

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सलावदखुर्द से बड़ौदिया आंतरी सड़क निर्माण हेतु 4.896 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 1844 दिनांक 15.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक को लिखते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उक्त आलोच्य प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवाऊ परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली पत्रांक 8बी/राज./06/33/2008/एफ.सी./819 दिनांक 18.09.2015 के अनुसरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक 162 दिनांक 11.05.2009 की पालना नही होने में 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मांगदर्शिका के पेरा 4.2(I) एवं (II) के तहत उक्त प्रस्ताव को बन्द/निरस्त कर दिया गया है।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज./106/33/2008/एफ.सी./162 दिनांक 11.05.2009 के तहत उक्त आलोच्य प्रस्ताव की निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की गई थी जिसकी विभाग द्वारा बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है।

क्र.सं.	अधिरोपित शर्ते	मॉग राशि का आधार यथा क्षेत्रफल दर आदि एवं राशि	विशेष विवरण
1	प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 4.896 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित)	4.896 Ha. @145925/- = Rs. 714449/-	राशि रू. 5701429/– केम्पा फण्ड में निम्नानुसार जमा करायी जा चुकी है। (1) कुल राशि रू. 4287269/– चैक संख्या 309436 दिनांक 22.03.2010 दिनांक 25.03.2010 कारपोरेशन बैंक केम्पा फण्ड में जमा। (2) कुल राशि रू. 574553/– चैक सं. 312446 दिनांक 30.01.2012 दिनांक 30.01.2012 को केम्पा फण्ड कॉरपोरेशन बैंक में जमा कराया गया। (3) कुल राशि रू. 13847223/– केम्पा फण्ड नई दिल्ली को दिनांक 31.03.2016 को जमा डी.डी. सं0 450711 दिनांक 31.03.2016 में इस परियोजना की राशि रू. 697573/– रूपये सम्मिलित है जिसको कॉरपोरेशन बैंक जयपुर में दिनांक 04.04.2016 का समाशोधन हेतु जमा कराया गया। (4) दिनांक 25.03.2017 को जमा की गई 1532598/– रूपये में इस परियोजना की अंतर राशि भी 142479/– रूपये सम्मिलित है।
2	माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 30,64,896/– 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) निर्धारित राशि /626000/– रूपये प्रति है0	4.896 Ha. @626000/- = Rs. 3064896/-	
3	प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थान (5 है. क्षेत्र) पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धन (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) राशि।	रू. 729625/–	
4	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने 9.792 है0 अवनत वन भूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि।	9.792 Ha @121779/- = Rs. 1192459/-	
	कुल योग	**= Rs. 5701429/-**	

Scanned with CamScanner

5	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरो में बढ़ोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए अन्डर टेंकिग		नवीन अन्डर टेंकिन पत्र प्रस्तुत करदी गई है।
6	5. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफसी/दिनांक 05.09.2007 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सीए 1581 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक II भूतल सीजीओ काम्पलैक्स, फेज–I लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा कराया जावे।		समस्त राशि जमा करायी जा चुकी है।
7	भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी जावेगी तथा इसका वर्णन उनकी सर्विस पुस्तिका में किया जायेगा ओर उसकी एक प्रतिलिपी इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावेगी।		भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी अधिकारी तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता की सेवा पुस्तिका में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की कडी चैतावनी का इन्द्राज कर दिया गया है (प्रति संलग्न है)

उक्त सड़क निर्माण में वन भूमि के बदले गैर वन भूमि ग्राम सलावद कलां में आपके विभाग को पूर्व में दी जा चुकी है एवं अधिरोपित शर्तो के अनुसार राशि रू. 5701429/– उपरोक्तानुसार आपके विभाग को दी जा चुकी है।

(आर.के.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0खण्ड रामगंजमण्डी

Scanned with CamScanner

अवकाश

जन्म तिथि 01-05-1960
अनिवार्य सेवा निवृत्ति
निजी कार्य या बीमारी के कारण

राज्य कर्मचारी का नाम ....
निवास स्थान ....
निरंतर राज्य सेवा के प्रारम्भ की तिथि ....
पद ....

अवधि कार्य: कब से	कब तक	दिन	उपार्जित अवकाश (दिनों में)	जमा अवकाश कॉलम 4 व 5 का योग (नियोजित अवधि के अनुसार दिनों में)	अवकाश जो लिया: कब से	कब तक	दिन	पूर्ण वेतन पर अवकाश (कॉलम 5 व 8 का योग)	सेवा अवधि: कब से	कब तक	सेवा अवधि दिनों में	अवकाश छुट्टी: उपार्जित अवकाश (दिनों में)	जमा अवकाश कॉलम 26 व 13 का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	BF	279 दिन					
1/1/05	30/6/05	6 माह	15	294	—	—	—	294 दिन					
1/7/05	31/12/05	6 माह	15	309	—	—	Say	300 दिन					
1/1/06	30/6/06	6 माह	15	315	—	—	Say	300 दिन					
1/7/06	31/12/06	6 माह	15	315	—	—	Say	300 दिन					
1/1/07	30/6/07	6 माह	15	315	—	—	Say	300 दिन					
								अधीक्षण अभियन्ता सा० नि० वि० वृत्त कोटा					
1/7/07	31/12/07	6 माह	15	315	—	—	Say	300 दिन					
	—	—	—	—	30/4/07	5/4/07	6	294 दिन					
1/1/08	30/6/08	6 माह	15	309			Say	300 दिन					

अधीक्षण अभियन्ता
सा. नि. वि. वृत्त कोटा

Balance C/F

अवकाश जो निजी कार्य या बीमारी के कारण लिया गया: कब से	कब तक	दिन	परिवर्तित अवकाश जो डॉक्टरी प्रमाण-पत्र पर पूर्ण वेतन पर दी गई जिसकी अवधि पूर्ण सेवाकाल में 18 दिन की है: कब से	कब तक	दिन	परिवर्तित अवकाश को वेतन के बदला कर कॉलम 20 का दुगना	अनुपार्जित अवकाश डॉक्टरी प्रमाण-पत्र पर सेवाकाल में 180 दिन की है: कब से	कब तक	दिन	असाधारण अवकाश की अवधि कॉ. 17, 21, 24 का योग	छुट्टी से वापसी पर कार्यभार कॉ. 14, 15	विशेष विवरण
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

संयुक्त शासन सचिव सा० नि० वि० राज० जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1(2) कार्मि/2019 आरके-00284 दिनांक 30.8.2019 एवं मुख्य अभियन्ता सा० नि० वि० राज० जयपुर के आदेश क्रमांक प० 3(1)/अनुप्रमा/ए/2019/डि 782 दिनांक 30.8.2019 के द्वारा वृत्त भीलवाड़ा से अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय जयपुर लगाये जाने पर अधीक्षण अभियन्ता सा० नि० वि० वृत्त भीलवाड़ा का कार्यभार क्रमांक 4014-24 दिनांक 2.9.2019 द्वारा दोपहर पश्चात सम्भाला दिया है।

(डी. [illegible] बैरवा)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
सा. नि. वि. संभाग, अजमेर

(46) सेवा पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया एवं अवधि 1-7.2019 से 31-8-2013 तक की सेवा सत्यापित की जाती है।

(47) [illegible] सेवा सत्यापित की जाती है।

सुरेश कुमार बैरवा
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
सा० नि० वि० संभाग, कोटा

चेतावनी

सड़क निर्माण कार्य सलानदं से नवोदिया आंतरी सड़क निर्माण का वन विभाग भूमि पर अवैध निर्माण करवाकर वन संरक्षण अधि० 1980 का उल्लंघन किया है। अतः आपको कड़ी चेतावनी दी गई की भविष्य में वन विभाग की अनुमति बिना वन विभाग की भूमि पर निर्माण कार्य न करें।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
सा० नि० वि० संभाग, कोटा

PARTICULARS OF THE GOVERNMENT SERVANTS

1. Name
नाम
RADHEY SHYAM JHANWAR

2. Residence
निवास
47, GANPATI NAGAR,
COLLEGE ROAD.
BEAWAR - 305 901.

3. Date of birth by the Christian era as nearly as can be ascertained
जन्म तिथि सन् में
1st MAY, 1960
(As per secondory School Certificate)
[signature]
सहायक अभियन्ता
सा. नि. वि. मवानीमंडी

4. Father's Name & also husband's name in the case of female Government servant & residence.
पिता का नाम और स्त्री-कर्मचारी के पति का नाम भी व निवास स्थान
SRI M.L. JHANWAR,
47, GANPATI NAGAR, COLLEGE ROAD, BEAWAR 305 901

5. Qualification योग्यतायें
(a) Education (शिक्षा सम्बन्धी)
(i) On Joining service सेवा प्रारम्भ के समय
HR. SECONDARY - 1976
B.E. (Civil) Honours, 1981-82
[signature]
सहायक अभियन्ता
सा. नि. वि. मवानीमंडी

(ii) Subsequently attained
जो सेवाकाल में प्राप्त की

(b) Departmental tests passed
विभागीय परीक्षायें।

(c) Technical & special qualification
विशेष योग्यतायें

6. Exact height by measurement
माप से ठीक ऊंचाई
172 cm.

7. Personal mark for indentification—
पहिचान के निशान
A scrach mark on the left side of left eye

8. Left hand thumb & finger impressions of (Non-gazetted) Government servant:—
(अराजपत्रित राज्य) कर्मचारी के बायें हाथ के अंगुष्ठ व अंगुलियों के निशान

Little finger
कनिष्ठा

Ring finger
अनामिका

Middle finger
मध्यमा

Fore finger
तर्जनी

PPO - 1121361
GPO - 3189674
CPO - 4142468

Audit ... AD

Thumb
अंगुष्ट

9. Signature of Government Servant
राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर
[signature]
[signature]
सहायक अभियन्ता
सा. नि. वि. मवानीमंडी

Re-attestation पुनः प्रमाणित

Date तिथि

Signature हस्ताक्षर

10. Signature and designation of the Head officer or other Attesting officer.
कार्यालय या अन्य-प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर व पद
[signature] 11.1.88
[signature] 3-10-2002

Re-attestation
[signature]
सहायक अभियन्ता
सा. नि. वि. जिला उपखण्ड, ...
भीलवाड़ा (को. नं. 53)

Date तिथि

Signature हस्ताक्षर

Note : The entries in this page should be renewed or reattested at least every five year and the signature in lines 9 and 10 should be dated. Finger prints need not be taken a fresh every five year under this rule.

Scanned with CamScanner